उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

संख्या / ए.वी. / 1035(सी) दिनांक 19/8/16

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदन दिनांक 04.08.2016 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वी0एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	172009	शाहाबाद योजना, शाहाबाद जनपद–हरदोई में स्व–वित्त पोषितयोजना के अन्तर्गत 13 नग 53/127 प्रकार के सेमी फिनिश्डि भवनों का निर्माण कार्य।	104.90	461/3(16–17)

1– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।
3– प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
4– निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति सक्षम सतर से अलग से प्राप्त करनी हागी।
5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
6– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि0अभि0/अधी0अभि0 का होगा।
7– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
8– खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
9– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10– उक्त निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 09 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
11– कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
12– उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।
13– प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 3092/उक्त /1035(सी) दिनांक: 10.9.2016

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)/वृन्दावन वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड–12, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)